

# फर्द अहकाम

न्यायालय \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

मुकदमा संख्या / वर्ष \_\_\_\_\_

/ 20 \_\_\_\_\_

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/10/23	<p>1. न्यायालयी पेशा हुई वकील प्रार्थी उपरोक्त अप्रार्थी सं. 2 लक्ष्मीकर सांगाने अनुपस्थित वकील प्रार्थी की वृत्त सुनी गयी पणवकी व राजस्व रिकार्ड का अप्रमाणिक करने व वकील प्रार्थी की वृत्त का मन्म किया गया। चूंकि प्रमाण में अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध दि० 22/9/22 को एक तरफ कार्यवाही की जा चुकी है। अतः इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 21/2/19 को जारी अस्वार्थ निपेद्याना को ता-फैसला दावा (Absolute) रद्द किया जाता है। पणवकी नाम्मा से कम होकर काद वकील मुकदमा के साथ संलग्न हो सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>